संoसंo–9 / एमoक्रयo–1–83 / 98

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि **डा0 बख्शी के0आर0पी0** सिन्हा, **तत्कालीन अधीक्षक, रॉची मानसिक आरोग्यशाला, रॉची सम्प्रति सेवानिवृत पता–शेखपुरा मोड़, राईडिंग रोड़, बेलीरोड, पटना–10** अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

उक्त **डा0 सिन्हा** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) द्वारा विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा0 सिन्हा को इस संकल्प के अग्रसारण के दो सप्ताह के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित वक्तव्य अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए संचालन पदाधिकारी **विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार,** पटना को नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन पदाधिकारी **श्री स्वयम्भू प्रिय, उपसचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** होगें। जिसके आलोक में डा0 सिंहा को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **श्री स्वयम्भू प्रिय, उपसचिव, स्वास्थ्य** विभाग, **बिहार, पटना** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 793 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक : 01/9/2015

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **डा0 बख्शी के0आर0पी0** सिन्हा, तत्कालीन **अधीक्षक, रॉची मानसिक आरोग्यशाला, रॉची सम्प्रति सेवानिवृत पता–शेखपुरा मोड़, राईडिंग रोड़, बेलीरोड, पटना–10** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30.7.15

सरकार के अवर सचिव।

E/Sankalp folder 2013